रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--24

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21122024-259573
CG-DL-W-21122024-259573

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 21—दिसम्बर 27, 2024 (अग्रहायण 30, 1946)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 21—DECEMBER 27, 2024 (AGRAHAYANA 30, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	731
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1179
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	4615
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	3993
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	9
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	5157
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	731
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1179
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...........	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4615
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations...	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3993
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5157
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसंबर 2024

सं. 9-1/2024-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 11.03.2024 की अधिसूचना संख्या 9-1/2024-यू.3(ए) के तहत वेलागापुडी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को कुछ शर्तों के साथ एक सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया था।

3. और जबकि, दिनांक 02.05.2024 के अपने पत्र के तहत प्राचार्य वेलागापुड़ी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, विजयवाड़ा ने सम विश्वविद्यालय संस्थान का नाम 'वेलागापुड़ी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज' से बदलकर 'सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी' करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

4. और आगे जबकि, यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, इस मंत्रालय ने दिनांक 16.07.2024 के पत्र के माध्यम से, कुछ शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, 'वेलागापुडी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज' का नाम बदलकर 'सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी' करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया।

5. और जबकि, संस्थान ने दिनांक 05.09.2024 के पत्र के माध्यम से उन शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। यूजीसी ने अनुपालन रिपोर्ट की जांच की और इस मंत्रालय को अपनी सलाह प्रस्तुत की।

6. अब, इसलिए, यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तिथि से संस्थान के नाम को 'वेलगापुडी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज' से बदलकर 'सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी' करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करता है।

7. 'सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी', विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश अपने नाम के आगे या पीछे 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। इसे अपने नामकरण के अंतर्गत सभी उद्देश्यों के लिए (कोष्ठक में) "यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थान" लिखकर नामकरण का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

8. यह अनुमति इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं की शर्तों की पूर्ति तथा केन्द्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक मानदंडों/नियमों/विनियमों/निदेशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th December 2024

No. 9-1/2024-U.3(A)—Whereas, Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, vide Notification No. 9-1/2024-U.3(A) dated 11.03.2024, on the advice of UGC, declared Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College, Vijayawada, Andhra Pradesh as an Institution deemed to be University with certain conditions.

3. And whereas, the Principal, Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College, Vijayawada, vide letter dated 02.05.2024, submitted proposal for change of name of the Institution deemed to be University from 'Velgapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College' to 'Siddhartha Academy of Higher Education.'

4. And further whereas, considering the advice of UGC, this Ministry, vide letter dated 16.07.2024, conveyed in-principle approval for change of name of 'Velgapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College' to 'Siddhartha Academy of Higher Education' subject to fulfilment of certain conditions.

5. And whereas, the Institution, vide letter dated 05.09.2024, submitted compliance report in respect of the fulfilment of those conditions. The UGC examined the compliance report and submitted its advice to this Ministry.

6. Now therefore, considering the advice of UGC, the Ministry of Education, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby conveys its approval for change of name of the Institution deemed to be University from 'Velgapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College' to 'Siddhartha Academy of Higher Education' with effect from the date of this Notification.

7. Siddhartha Academy of Higher Education, Vijayawada, Andhra Pradesh shall not use the word 'University' either in prefix or suffix to its name. It shall distinctly mention the nomenclature under its nomenclature by inserting (within brackets) "Declared as Institution deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956" for all the purposes.

8. This permission is further subject to the fulfilment of the conditions of earlier Notifications of this Ministry and also in compliance to the relevant norms/rules/regulations/directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054
Kshitiz Mohan Digitally signed by Kshitiz Mohan Date: 2024.12.21 09:10:06 +05'30'